आम जनता पंचगण रैगर समाज लवाण बनाम उदय चंद वगै.

किस्म मुकदमा—नामान्तरण अपील नम्बर 88/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.5.2023	अधिवक्ता अपीलांटस उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 से 7 अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलाटस ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत एक आवेदन पेश कर दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता अपीलांटस की बहस में दलील है कि प्रश्नगत आराजी अपीलार्थीगण को राजाजी के समय से राजाजी द्वारा दी गई थी। उक्त आराजी को रेस्पो. द्वारा अपने नाम गलत तरीके से विधिक प्रतिनिधि बताकर विरासत का नामान्तरण खुलवा लिया। प्रश्नगत आराजी से संबंधित वाद न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा के यहॉं लंबित है तथा न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहॉं सहायक कलक्टर दौसा दिनांक 9.3.2015 अंतरिम टी.आई. के विरूद्ध अपील की सत्य प्रतिलिपि व राज0 उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल रिट पिटीशन नं0 13802/2016 की सत्य प्रतिलिपि व निर्णय की सत्य प्रतिलिपि व राजस्व मंडल अजमेर में आम जनता पंचगण रैगर समाज बनाम नवलकिशोर निगरानी के निर्णय की सत्य प्रतिलिपियां पेश की जाकर निवेदन किया कि संलग्न दस्तावेजात जो कि प्रश्नगत आराजी से संबंधित है को रिकार्ड पर लिये जाने से उक्त मामले की वस्तुस्थिति न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है तथा उक्त दस्तावेजात लोक दस्तावेज की तारीफ में आते है। लोक दस्तावेज होने से उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने से विपक्षीगण के साथ किसी प्रकार का अन्याय होने की संभावना नहीं है बल्कि उक्त दस्तावेज प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित करने में सहायक दस्तावेज है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता अपीलांटस की बहस पर मनन किया गया। मूल नामान्तरण पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त नामान्तरण विरासत के आधार पर वारिसों के नाम तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के आधार पर विधिक वारिसान की जांच के उपरांत वारिसान के नाम नामान्तरण तस्दीक किया गया है। जहॉं तक प्रश्नगत भूमि पर हक अधिकार का प्रश्न है, उसके संबंध में सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय अनुसार हक अधिकार तय होने है। अधिवक्ता अपीलांटस ने प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी एवं बहस में यह तथ्य स्वीकार किया है कि नामान्तरण में वर्णित भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा व अन्य न्यायालयों में वाद विचाराधीन है जिसकी पृष्टि प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत न्यायालय की आदेशिका [illegible] है। सक्षम न्यायालय के वाद में निर्णय अनुसार की नामान्तरण [illegible] किया जावेगा। प्रश्नगत नामान्तरण विरासत के आधार [illegible] के नाम खोला गया है जिसमें इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित [illegible] अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की [illegible]ती है। अधीनस्थ न्याया[illegible] का मूल अभिलेख निर्णय की प्रत सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:54:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official